इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 7524-350-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक २९ दिसम्बर, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० दिसम्बर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा ३६ का संशोधन.

२. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(गघ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह मास से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हों; या जिसके नाम से किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था जिसके क्षेत्र में पंचायत स्थित हो, उस पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की तारीख पर कोई कालातीत ऋण बकाया हो;".

(दो) खण्ड (ज) का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश, २०१४(क्रमांक १० सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

क्र. 7525-350-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 23, सन् 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2014

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 29th December, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2014].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhaya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 36.

2. In Section 36 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), in sub-section (1),-

(i) After clause (cc), the following clause shall be inserted, namely:-

" (cd) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months on the first day of the month in which the election has been notified; or has any dues of timebarred loan to any primary agriculture credit co-operative society in whose area panchayat is situated, standing against his name on the date of declaration of that panchayat election; or".

(ii) clause (h) shall be omitted.

Repeal and Saving

3. (1) The Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (No. 10 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.